

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या- 42/20-21

.....कैलाश उरांव..... आवेदक/आवेदिका
बनाम

.....कलावती उरांव..... विपक्षी

आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री श्रीमति कैलाश उरांव
पिता/पति श्री/स्व0 गब्दुरा उरांव ग्राम लकेया
थाना सिसई जिला गुमला ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिकी करने हेतु
अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक
आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
<u>लकेया</u>	<u>सिसई/74</u>	<u>68</u>	<u>1339</u>	<u>1.09 एकड़ में से 0.15 एकड़</u>

(कुल रकबा पंद्रह डिसेमीटर)

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/ आवेदकगण प्रस्तावित कंता श्री
श्रीमति कलावती उरांव पिता/पति श्री/स्व0 दरवण
उरांव निवासी ग्राम वराण, सडफोली
थाना सिसई जिला गुमला को राशि रुपये 1,80,000 (एक लाख अस्सी हजार रुपये)
पर बिकी करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इस्मज
हेतु/हस्त ब्रेल खरीदने/अन्य कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई
अन्य श्रोत नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिकी कर रहे
है। अंचलाधिकारी सिसई को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम
ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी सिसई के कार्यालय के पत्रांक 660
दिनांक 11.9.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक/
आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिकी करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की
गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की
कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का

शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी/खस्रीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत आते हैं, साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी सिसई के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक / आवेदिका / आवेदकगण श्री श्रीमति केलाश उराँव पिता/प्रति श्री/स्व गण्डुरा उराँव निवासी ग्राम लकैया थाना सिसई जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वारा बनसि प्रदान की जाती है।

भूमि का पूर्ण विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
लकैया	सिसई/74	68	1339	1.09 एकड़ में से 0.15 एकड़

(कुल रकबा पच्चे डिसमील)

चौहदी - उत्तर- कच्चा रास्ता इसी प्लॉट में दक्षिण-टांड दिस्सेदार सोमरा उराँव काँस्ट
पूरब- परती नाला रास्ता पश्चिम- दोन हरिया उराँव काँस्ट

लेखापित एवं संशोधित

सिसई
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
गुमला।

सिसई
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
गुमला।